ग्राम पंचायत वार्षिकी

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट

प्रकाशन वर्ष : 2024
कुल प्रतियां : 1000
प्रकाशक : समर्थन, भोपाल
सहयोग : फोर्ड फाउण्डेशन
मुद्रक : डिजिटल इन्टरप्राईजेज, भोपाल

ग्राम पंचायत वार्षिकी

नाम : _____

पद : _____

पता : _____

_____

_____

फोन : _____

ई-मेल : _____

Samarthan Center for Development support
36, Green Avenue, Chunna Bhatti, Bhopal-462016,
Tel : 09893563713 | www.samarthan.org

जनवरी 2024 / JANUARY 2024

- **ग्राम पंचायतों की हर माह बैठक करना अनिवार्य किया गया है ताकि सभी पंचायत प्रतिनिधि इन बैठकों में भाग लेकर अपने ग्राम के विकास की चर्चा करें एवं निर्णय लें। चूंकि गांव में रहने वाले सभी लोग खेती-किसानी में लगे हैं, तो क्या खेती से जुड़े मुद्दे ग्राम पंचायत की बैठकों का हिस्सा हैं।**
- मत भूलिये इस माह भी ग्राम पंचायत की बैठक है। क्या आपने बैठक में भाग लिया/बैठक में जरूरी चर्चा की तैयारी कर ली है
- खेती और आजीविका को बढ़ाने के कौन-कौन से बिन्दु ग्राम सभा की चर्चा में लाने हैं।
- खेत में कहीं फूल है, कहीं कली, कहीं फसल की तैयारी। फसलों में पानी देने का भी समय है।

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
	01	02	03	04
07	08	09	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

कार्यवाही रजिस्टर में लिखी कार्यवाही एवं लिये गये निर्णयों के अनुसार ग्राम पंचायत के काम-काज किये जाते हैं। बैठक के अंत में कार्यवाही पढ़कर सुनाना सचिव के लिये जरूरी है।

- मत भूलिये इस माह सभी गाँवों में ग्रामसभा का आयोजन भी होना है। क्या आपने ग्रामसभा में चर्चा हेतु आवश्यक तैयारी की है? ग्रामसभा के सभी सदस्यों को बैठक की सूचना एवं एजेण्डे की जानकारी दी है?
- ड्रिप सिस्टम फसलों में पानी देने का अच्छा तरीका है, इससे पूरा पानी पेड़-पौधों की जड़ों में जाता है और बेकार भी नहीं होता।
- ऐसी फसलों को चुनें जिनमें, पानी उतना ही लगे जितना उपलब्ध है।

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
05	06
12	13
19	20
26 गणतंत्र दिवस ग्रामसभा का आयोजन	27

नोट करें

- आपने अपने गांव के कौन से मुद्दों पर चर्चा की?

- ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक में लिए गए निर्णयों में से कौन से ऐसे निर्णय हैं जो आपके वार्ड के विकास से जुड़े हैं?

अन्य महत्वपूर्ण बातें

फरवरी 2024 / FEBRUARY 2024

- हर वित्तीय वर्ष के लिये ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना (जीपीडीपी) बनाई जाती है। सभी गाँवों की कार्ययोजना को जोड़कर जीपीडीपी बनाना एवं उसे पोर्टल https://egramswaraj.gov.in पर अपलोड करना ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है।

क्या हमारी ग्राम पंचायत ने वार्षिक बजट एवं जीपीडीपी बनाई? क्या हमने अपने ग्राम के सभी आवश्यक कार्य जीपीडीपी में शामिल कराये?

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
				01
04	05	06	07	08
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

- **ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, विभागों, सांसद एवं विधायक निधि, जनपद और जिला पंचायत के मद से प्राप्त राशि जुड़ती है।**
- क्या आपकी ग्राम पंचायत में वार्षिक बजट पर चर्चा हुई? क्या वार्षिक बजट बना लिया गया है?
- फसल कटाई के बाद बचे डंठलों (पराली) को जला दिया, कम्पोस्ट खाद नहीं बनाया, दोनों तरफ से नुकसान हुआ, खेत और मिट्टी के बहुत अच्छे जीवाणु जलाने में खत्म हो गये!

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
02	03
09	10
16	17
23	24

नोट करें

- ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट कितना है? किन-किन मदों से राशि प्राप्त हुई?

- क्या आवश्यक कर लगाकर पंचायत अपनी आय बढ़ा रही है?

अन्य महत्वपूर्ण बातें

- ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में शामिल कार्यों की फाईल तैयार कर सचिव के द्वारा उपयंत्री को दी जाती है ताकि कार्यों की अनुमानित लागत निकाली जा सके। इसके बाद सहायक यंत्री के द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी जाती है।
- ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च होने वाली राशि, विभिन्न मदों में प्राप्त राशि आदि का लेखा-जोखा ग्राम पंचायत की बैठक में बताना अनिवार्य होता है ताकि सभी जरूरी खर्चों का अनुमोदन लिया जा सके।
- ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले सभी विभागों/संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा कर प्रगति ले एवं समस्याओं का समाधान करे।
- ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार ग्रामसभा को दिया गया है।
- ग्राम पंचायत के पास आने वाला विकास का पैसा जनता का ही पैसा है। क्या ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते हमने ग्राम पंचायत को मिली राशि एवं खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब जनता को दिया।
- ग्राम के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की व्यवस्था को सुगम बनाना अच्छी ग्राम पंचायत की पहचान है।
- ग्राम के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधायें देना ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है।

नोट्स

मार्च 2024 / MARCH 2024

- **ग्राम पंचायत के सभी गांवों की एक वार्षिक कार्ययोजना बनती है। इसमें गांव के सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ अधोसंरचना एवं हितग्राहीमूलक कार्यों के लिये चिन्हित परिवारों के नाम सम्मिलित होते है।**
- यदि योजना में कोई विभागीय कार्य जुड़ा है तो सचिव की जिम्मेवारी है कि वह उस निर्णय को संबंधित विभाग तक पहुंचाये।

"मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान सो एक। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक"

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
31				
03	04	05	06	07
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28

- **विभागीय कार्यों को पूरा कराने के लिये विभागों से नियमित पत्राचार करनें में, पंचों एवं ग्राम सभा की जिम्मेवारी है कि वे अपनी ग्राम पंचायत को सहयोग दें।**
- क्या आपकी जीपीडीपी में विभागों एवं ग्राम की संस्थाओं से जुड़े जरूरी कार्यों को जोड़ा गया?

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
01	02
08	09
15	16
22	23
29	30

नोट करें

- ग्राम की कार्य योजना में कौन-कौन से प्रमुख कार्य शामिल किये गये? क्या गरीब बसाहटों में पानी, सड़क, स्कूल, आंगनवाड़ी आदि की समस्याओं पर बात हुई? योजना में शामिल कार्यों को दर्ज करें?

- अपने मोहल्ले में चर्चा करके अपने मोहल्ले /वार्ड के जरूरी कामों की सूची बनायें?

अन्य महत्वपूर्ण बातें

- प्रत्येक जनपद सदस्य को क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रति वर्ष 5 लाख रूपये मिलते हैं जिसे वह विकास कार्यों को पूरा करने ग्राम पंचायतों को दे सकता है।
- प्रत्येक जनपद उपाध्यक्ष को क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रति वर्ष 10 लाख रू मिलते हैं जिसे वह विकास कार्यों को पूरा करने ग्राम पंचायतों को दे सकता है।
- प्रत्येक जनपद अध्यक्ष को क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रति वर्ष 20 लाख रू मिलते हैं जिसे वह विकास कार्यों को पूरा करने ग्राम पंचायतों को दे सकता है।
- प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रति वर्ष 15 लाख रू मिलते हैं जिसे वह विकास कार्यों को पूरा करने ग्राम पंचायतों को दे सकता है।
- प्रत्येक जिला पंचायत उपाध्यक्ष को क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रति वर्ष 20 लाख रू मिलते हैं जिसे वह विकास कार्यों को पूरा करने ग्राम पंचायतों को दे सकता है।
- प्रत्येक जिला पंचायत अध्यक्ष को क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रति वर्ष 50 लाख रू मिलते हैं जिसे वह विकास कार्यों को पूरा करने ग्राम पंचायतों को दे सकता है।
- ग्राम पंचायतें अपने प्रस्ताव एवं एस्टीमेट के साथ सांसद, विधायक, जिला एवं जनपद सदस्य या अध्यक्ष में से जिस किसी से विकास निधि की जरूरत हो, उक्त राशि की मांग कर सहयोग की अपेक्षा कर सकती हैं।
- 15 वें वित्त आयोग से प्रतिवर्ष दो किस्तों में प्राप्त होने वाली राशि का 40 फीसदी हिस्सा बिना शर्त अनुदान है जिसे पंचायतें अपनी जरूरत के अनुसार सामुदायिक विकास के कार्यों पर खर्च कर सकती हैं।
- 15 वें वित्त आयोग से मिलने वाली कुल राशि में से 30 फीसदी राशि को ग्राम पंचायत की स्वच्छता के कामों में खर्च किया जा सकता है।
- 15 वें वित्त आयोग से मिलने वाली कुल राशि में से 30 फीसदी राशि जल संरक्षण एवं पेयजल के कामों में खर्च की जा सकती है।
- अगर ग्राम में कोई ऐसे कार्य करना आवश्यक है जिन्हें विभागों को मिलने वाले फंड से पूरा किया जाना है एवं उन विभागों की जिम्मेवारी है तो ऐसे कामों को भी कार्ययोजना में शामिल करें एवं संबंधित विभागों को कार्ययोजना की प्रति भेजें।

नोट्स

अप्रैल 2024 / APRIL 2024

- **किसी भी सरकारी योजना के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों के चयन का अधिकार ग्रामसभा को है। ग्रामसभा के चयन के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा आगामी कार्यवाही की जाती है, ताकि उस चयनित हितग्राही को लाभ दिया जा सके।**
- क्या आपकी पंचायत में ऐसा होता है? क्या लाभर्थियों का चयन ग्रामसभा द्वारा किया जाता है?
- किसानों के लिए उपज का भण्डारण एक बड़ी समस्या है, इसलिए वह उपज को रोक नहीं पाते, कम दामों पर जल्दी बेच देते हैं।

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
	01	02	03	04
07	08	09	10	11
14 अम्बेडकर जयंती ग्रामसभा का आयोजन	15	16	17	18
21	22	23	24 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	25
28	29	30		

- क्या हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को हमारे सहयोग की जरूरत है? लेकिन हमारी पंचायत ऐसा नही कर पा रही है।
- लगभग 20% उपज भण्डारण के दौरान कीट, चूहों व अन्य कारणों से खराब हो जाती है।

"परहित सरिस धर्म नही भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई"

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
05	06
12	13
19	20
26	27

नोट करें

- अपने मोहल्ले या वार्ड में कौन-कौन व्यक्ति/परिवार किस-किस लाभ हेतु पात्र है सूची बनायें। यह पता करें कि किन कारणों से इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला है?

_____

_____

_____

- क्या हमारे वार्ड में कोई ऐसे परिवार/हितग्राही हैं जो दस्तावेजों के अभाव या दस्तावेजों में त्रुटि के कारण योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? सूची बनाएं।

_____

_____

_____

- क्या हैंडपंप, पाइपलाईन, स्कूल इत्यादि के सुधार के कोई काम आपके मोहल्ले में होना है। नोट करें।

_____

_____

_____

- **ध्यान दें -** पीएम आवास की सूची यहां से देख सकते है- https://pmayg.nic.in
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सूची यहां से देख सकते है- https://socialsecurity.mp.gov.in

मई 2024 / MAY 2024

- **प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक बैंक खाता होता है जिसे ग्राम पंचायत निधि के नाम से जाना जाता है।स्थानीय बैंक की शाखा में इस निधि का खाता खोला जाता है।**
- किसानों को सस्ते और संस्थागत ऋण की उपलब्धता बहुत कम है, बड़ी संख्या में किसानों के पास गिरवी रखने के लिए भूमि या अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं होता।

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
			01	02
05	06	07	08	09
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

- **ग्राम पंचायत निधि के बैंक खाते का संचालन ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।**
- उधार चुकाने के लिये पैसा और अच्छी भण्डारण सुविधा न होने से किसान अपनी उपज आधे-पौने दाम में बेच देते हैं।
- आसानी से और कम ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण किसानों के लिये महत्वपूर्ण है।

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
03	04
10	11
17	18
24	25
31	

नोट करें

- क्या पंचायत में किसी प्रकार का कर वसूला जाता है। कर वसूली में क्या दिक्कतें हैं? पता करें कि यह पैसा किन कामों पर खर्च होता है?

- क्या पंचायत निधि समय पर आ रही है और खर्च हो रही है? नोट करें।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

जून 2024 / JUNE 2024

- **ग्राम पंचायतों के लिये मनरेगा एक बड़ा संसाधन है, जिससे मिट्टी और पानी के काम किये जाते है। इससे ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार भी मिलता है।**
- **मनरेगा के तहत सड़क, पुल-पुलिया जैसे निर्माण कार्यों के अलावा खेत सुधार, कूप निर्माण, खेल मैदान, जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पौधारोपण एवं जल संरक्षण के काम किये जा सकते हैं।**
- सोचना आवश्यक है कि, इस बार क्या फसल लगायें जो मिट्टी, पानी, जलवायु के अनुकूल है, यानि एक ही फसल बार-बार न लगायें।

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
30				
02	03	04	05	06
09	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	27	25	26	27

- **जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल की व्यवस्था हो रही है। पंचायत को योजना का हैन्डओवर लेने से पहले भली भांति जांच करना चाहिये कि योजना सही है। सभी परिवारों को जल मिल रहा है।**
- नल जल योजना ठेकेदार द्वारा पूर्ण कर ग्राम पंचायत को सौंपी जाती है। ग्राम पंचायत देख ले कि योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं।

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
	01
07	08
14	15
21	22
28	29

नोट करें

- क्या आपने देखा कि मनरेगा में कितना संसाधन है? इस साल कौन-कौन से काम पूरे किये गये? कौन-कौन से काम अभी शुरू नहीं हुए?

- क्या वार्ड में कोई ऐसे जरूरतमन्द परिवार हैं जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं परन्तु उनके पास जॉबकार्ड नहीं हैं? सूची बनायें।

- क्या पंचायत ने चेक कर लिया है कि नल जल योजना ठीक है और जल कर जमा हो रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

जुलाई 2024 / JULY 2024

- पांचवीं अनुसूची में आने वाले गाँवों, यानि पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत प्रतिनिधि नहीं कर सकते। यहां ग्राम सभा से चुना हुआ कोई अनुसुचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति ही अध्यक्षता कर सकता है।
- पांचवीं अनुसूची में आने वाले गाँवों की ग्राम सभा में कोरम के लिये, कुल ग्राम सभा सदस्यों का 25 फीसदी या 100 (इनमें से जो भी कम हो) का होना अनिवार्य है। इसमें एक-तिहाई महिलाओं का होना जरूरी है।
- सही समय पर, अच्छे बीज नहीं मिलते, क्या पंचायत किसान संगठन, इसके लिये कुछ कर सकते हैं?

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
	01	02	03	04
07	08	09	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

- **पेसा (पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया) कानून पंचायत और ग्राम सभा को विशेषाधिकार देता है। उन्हें जल/जंगल/जमीन और गौण खनिजों के प्रबंधन का अधिकार अन्य ग्राम सभाओं से अधिक है।**
- पहले भुजलिया/ज्वारे या अन्य त्यौहार अच्छे बीज की पहचान करने में मदद करते थे, अब किसान मिलकर क्या कर सकते हैं? क्या पंचायतें सस्ते और अच्छे बीज उपलब्ध करा सकती हैं?

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
05	06
12	13
19	20
26	27

नोट करें

- क्या आप पेसा क्षेत्र में रहते हैं? यदि हां तो आपके क्षेत्र में कौन-कौन सी मुख्य समस्यायें हैं?

- आसपास के छोटे झाड़ के जंगलों को बचाने के लिये ग्रामसभा ने क्या प्रयास किये? लिखें।

- जंगलों के किन उत्पादों से कितनी आमदनी संभव है। नोट करें।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

अगस्त 2024 / AUGUST 2024

- महिला पंच एवं सरपंच की भागीदारी पंचायत के विकास के लिये बहुत आवश्यक है। इससे वह मुद्दे जो महिलाओं को प्रभावित करते है, वह सामने आते है। जैसे जल, आंगनवाड़ी, स्कूल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि।

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
				01
04	05	06	07	08
11	12	13	14	15 स्वतंत्रता दिवस ग्रामसभा का आयोजन
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

- स्वयं सहायता समूह ग्रामसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते है। इससे चुनी हुई महिला प्रतिनिधियो को ग्राम सभा एवं पंचायत की बैठकों में जाने का बल मिलता है।

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
02	03
09	10
16	17
23	24
30	31

नोट करें

- क्या गांव के स्व-सहायता समूह पंचायत के विकास कार्यों में भागीदारी कर पा रहे हैं? यदि नहीं तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना बनाएं।

- क्या सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी में स्व-सहायता समूहों का योगदान मिल रहा है? इसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है? योजना बनायें।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

सितंबर 2024 / SEPTEMBER 2024

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे का जन्म पंजीयन एवं किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में मृत्यु का पंजीयन करना और प्रमाण पत्र देना भी ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है। जन्म/मृत्यु का पंजीयन 30 दिनों के भीतर कराना आवश्यक है।
- अधिकांशत: समय पर जन्म/मृत्यु पंजीयन कराने से जमीन हस्तांतरण, नामांकन, स्कूल में दाखिला इत्यादि काम सरलता से हो जाते हैं।
- क्या आपने जानने का प्रयास किया कि आपके वार्ड में कितने बच्चों ने जन्म लिया? किनकी मृत्यु हुई? क्या इन्हें प्रमाण पत्र दिये गये?

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
01	02	03	04	05
08	09	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30			

- **जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम - 1969 के अनुसार भारत में हुए सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन आवश्यक है।**
- **जन्म प्रमाण पत्र स्कूल या अन्य सरकारी कामों में उम्र की जानकारी के काम आता है।**
- **जमीन के फौती नामांतरण, विधवा पेंशन जैसे कई सरकारी कामों में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है।**
- अधिकांश मामलों में मृत्यु का पंजीयन न होने से फौती नामांतरण बहुत कठिन हो जाता है, जिसमें समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
06	07
13	14
20	21
27	28

नोट करें

- पिछले एक साल में गांव में कितने बच्चों का जन्म- हुआ? क्या सभी का पंजीयन एवं जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं?

- पिछले एक साल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उन सभी का पंजीयन हुआ है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? इसकी सूची बनायें।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

अक्टूबर 2024 / OCTOBER 2024

- **हर गांव और पंचायत में कई सेवादाता संस्थायें होती हैं, जैसे- स्कूल, राशन की दुकान, आंगनवाड़ी, अस्पताल आदि। ये ठीक से सेवाएँ दें यह देखना पंचायत की जिम्मेदारी है। साथ में यह देखना भी जरूरी है कि सभी ग्रामवासी सेवाओं से जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं।**
- जैसे-जैसे मौसमी मार बढ़ेगी, वैसे-वैसे फसलों का नुकसान बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा। ऐसे में किसानों का पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय अपनाना लाभदायक है।
- क्या आपके ग्राम में समिति का गठन हुआ? क्या ग्राम की समिति में जिम्मेवार लोगों का चुनाव किया गया है?

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
		01	02 गांधी जयंती ग्रामसभा का आयोजन	03
06	07	08	09	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

- **पंचायत को ध्यान देने की जरूरत है कि पंचायत क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन जैसे - जमीन, तालाब, जंगल कैसे सुरक्षित रहें, ताकि किसानों की चारागाह, पानी और जंगल संबंधी जरूरतें पूरी हो सके।**
- क्या पंचायत की बैठक में स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल आदि सेवाओं पर चर्चा हो रही है? इस संबंध में पंचायत क्या कदम उठा रही है? इन सेवाओं के अनुश्रवण के लिये ग्राम सभा एवं समितियों का सहयोग लें।
- क्या आपके ग्राम में गठित समिति अपनी बैठक कर रही है?बैठक में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णयों को तय कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर रही है।

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
04	05
11	12
18	19
25	26

नोट करें

- पंच एवं सरपंच देखें कि गांव के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्र में शिक्षक एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता नियमित आती हैं। क्या बच्चों की संख्या पूरी है? अगर नहीं तो कारण जाँचे और नोट करें।

- आपके वार्ड में ऐसे कितने परिवार है जो अत्यंत गरीब होने के बाद भी विभिन्न योजनाओं/सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ?इनके लिये आप क्या प्रयास करने वाले हैं ?

अन्य महत्वपूर्ण बातें

"मुखिया मुख सो चाहिये,
खान पान सो एक।
पाले पोसे सकल अंग,
तुलसी सहित विवेक।।"

किसान और पंचायत का गहरा संबंध है, क्योंकि पंचायत में रहने वाला हर आदमी किसानी से जुड़ा है।

खेती पर चर्चा, जंगल पर चर्चा, पानी पर चर्चा, क्या पंचायत की बैठकों में हो रही है?

क्या मैंने सरपंच/सचिव को पंचायत के काम करने में आ रही समस्याओं जैसे- विकास की राशि नहीं मिलने, भुगतान नहीं होने, स्वीकृति नहीं मिलने, निगरानी करने आदि में सहयोग किया?

- क्या हमारी ग्राम पंचायत द्वारा उतना वर्षा जल एकत्रित किया गया? जितना ग्राम के खेतों, मवेशियों एवं इंसानों को वर्ष भर में जरूरत है?
- धरती के अंदर का पानी सीमित है। जरूरत के मुताबिक वर्षा जल का संचय ही स्थायी समाधान है।
- धरती के अंदर का पानी उस कोठे/बखारी/कुठला के समान है, जिसमें यदि अनाज न भरा जाये बल्कि केवल निकाला जाये तो वह एक दिन खाली हो जाता है।
- धरती के सीने को छेदकर जल प्राप्त करना अपने एवं बच्चों के जीवन को मौत की तरफ ले जाने जैसा है। केवल पर्याप्त वर्षा जल संचय ही सही विकल्प है।
- कृषि के ऐस तरीकों को ढूंढने की जरूरत है, जिनमें काम पानी उपयोग हो।
- जल और जंगल हमारा जीवन हैं। क्या हमने इन्हें बचाने एवं बढ़ाने में कोई भूमिका निभाई?
- क्या हमारी ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम की शिक्षा, खेती और अजीविका को सुधारने पर कोई चर्चा / चिंता की जाती हैं? स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने कोई चर्चा/चिंता की जाती है?
- खेती को सुधारने हेतु, क्या हमारी ग्राम पंचायत द्वारा अपने बजट में कोई राशि तय की गई है?
- क्या हमने अपनी ग्राम पंचायत को जनहित के नजर से सबसे अच्छी ग्राम पंचायत बनाने के कोई प्रयास किए?
- क्या हम अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श/अच्छा काम करने वाली पंचायत के रूप में ईनाम दिला पाये?
- क्या पंचायत की अचल संपत्तियां सुरक्षित है। क्या समय-समय पर उनकी मरम्मत हो पा रही है?
- क्या हमारी पंचायत में वर्षा के पानी को संग्रहित किया जा रहा है?
- क्या हमारी पंचायत में छोटे किसानों को खाद-बीज मिल पाता है?
- क्या पंचायत के निर्णयों में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है?
- क्या पंचायत के सभी निर्णयों के बारे में सदस्यों को जानकारी है?
- क्या ग्राम सभा में जमीन पर बेटी, बहुओं के हक पर कभी बात हुई है?

नवंबर 2024 / NOVEMBER 2024

- **ग्राम पंचायत को साफ-सुथरा बनाने के लिये घर-घर शौचालय निर्माण हो। मानसून के पूर्व एवं बाद में नालियों की सफाई हो। गंदे जल एवं ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाये। यह सब काम ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी का हिस्सा है।**
- **दो गड्ढों वाले शौचालयों में अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है।**
- क्या आपकी पंचायत में सभी परिवारों के शौचालय बन गये? क्या परिवार इन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं?

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
03	04	05	06	07
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28

- **घरों से निकलने वाले गंदे पानी एवं जल स्त्रोतों के आसपास जमा गंदे पानी के प्रबंधन का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। स्वच्छ भारत मिशन एवं 15वे वित्त आयोग के साथ मनरेगा की राशि से ये काम किये जा सकते है।**
- क्या आपके ग्राम में गंदे जल का प्रबंधन हुआ? क्या अब ग्राम में गंदगी और कचरा नहीं होता है? क्या आपने इन मुद्दों पर चर्चा की?
- क्या गोबर, कचरे के ढेर इधर-उधर पड़े है? या फिर उनका व्यवस्थित खाद बनाने में उपयोग हो रहा है।

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
01	02
08	09
15	16
22	23
29	30

नोट करें

- आपके अपने मोहल्ले/वार्ड में सफाई और स्वच्छ जल की क्या-क्या समस्यायें है? लिखें!

- चूंकि पंचायत में बहुत ही सीमित संसाधन है। समुदाय कहां-कहां पानी और सफाई व्यवस्था में योगदान दे रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

- क्या हमारी जीपीडीपी से हमारे ग्राम में प्राकृतिक संसाधन बढ़ेंगे?
- क्या हमारी जीपीडीपी से हमारे ग्राम की स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होगा?
- क्या हमारी जीपीडीपी से हमारे ग्राम के बच्चों का भविष्य सुधरेगा?
- क्या हमारी जीपीडीपी से ग्राम में जाति, धर्म, लिंग के कारण होने वाला भेदभाव कम होगा?
- क्या हमारी जीपीडीपी से ग्राम में बालश्रम पर प्रतिबंध लगेगा?
- क्या हमारी जीपीडीपी से हमारे ग्राम में बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा?
- क्या हमारी जीपीडीपी से हमारा ग्राम स्वच्छ एवं सुन्दर बनेगा?
- क्या हमारी जीपीडीपी से खेतों की सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा?
- क्या हमने अपनी जीपीडीपी में वे काम शामिल किये जो विभागों के संसाधनों से पूरा कराना है?
- क्या हमने अपने गांव के टूटे हैण्डपंपों का समय पर सुधार कराया?
- क्या हमने ऐसे प्रयास किए जिनसे ग्राम के जल संसाधन गंदगी से दूर रहें एवं स्वच्छ रहें?
- क्या हमारी पंचायत लोगों को अपनी समस्याओं को दर्ज करने का सहज अवसर दे पाई?
- क्या हमारी पंचायत लोगों की समस्याओं को दर्ज करने एवं समस्याओं को दूर करने में सक्रिय है?
- क्या हमारी पंचायत शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, आंगनवाड़ी आदि के कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी कर रही है?
- क्या अपने ग्राम की विकास योजना बनाते समय जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना तय किया था, क्या वे लक्ष्य प्राप्त हुए? किस हद तक प्राप्त किए? क्या आपने इस बात की अपनी ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों में समीक्षा की?

नोट्स

दिसम्बर 2024 / DECEMBER 2024

- ये गांव हमारा है। यह ग्राम पंचायत भी हमारी है। इसके विकास में भागीदारी गांव के लोग और ग्राम पंचायत दोनों की सांझा जिम्मेदारी है। अगर सभी अर्थात पंच और ग्राम सभा अपनी ग्राम पंचायत का सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा गांव एवं पंचायत पीछे रह जायेंगे।
- मध्यप्रदेश में बहुत से किसान खुद ही जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये प्राप्त बजट न के बराबर खर्च हुआ है।

रविवार SUNDAY	सोमवार MONDAY	मंगलवार TUESDAY	बुधवार WEDNESDAY	गुरूवार THURSDAY
01	02	03	04	05
08	09	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31		

अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी मिल-जुलकर अपने ग्राम का विकास करें।

"जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना,

जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना"

शुक्रवार FRIDAY	शनिवार SATURDAY
06	07
13	14
20	21
27	28

नोट करें

- ग्राम सभा में ग्रामसभा के सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिये सभी पंच अपने सुझाव लिखें।

- पंचायत की बैठकों में भागीदारी के लिये सभी पंचों को प्रोत्साहित कैसे करेंगें?

अन्य महत्वपूर्ण बातें

नोट्स

नोट्स

नोट्स

समर्थन के बारे में

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

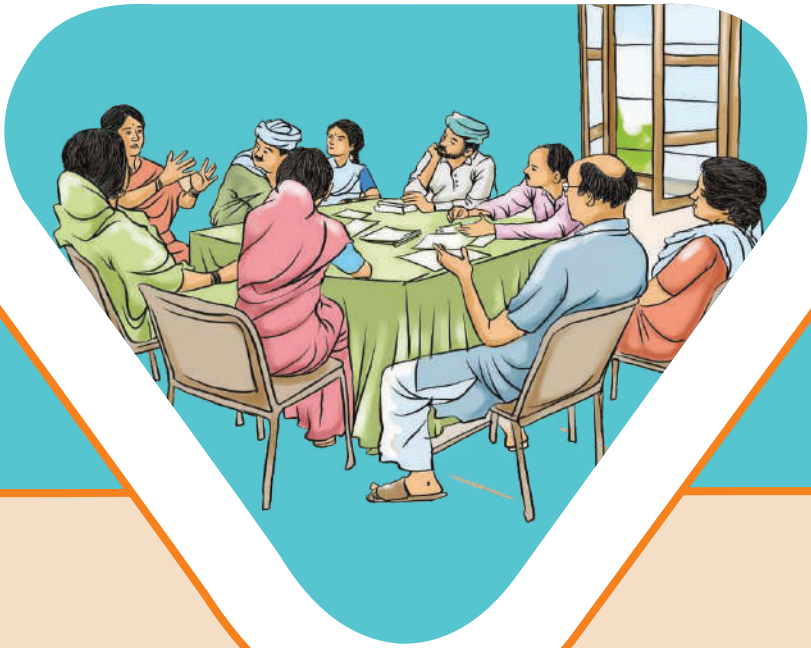

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)

प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल 462016

ई-मेल - info@samartan.org, वेबसाइट - www.samarthan.org